श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, पुणे
प्रतिभा जागृति जैन कन्या छात्रावास
(होटल सुयश) तिलक रोड, नवी पेठ, पुणे - 411 030 (भारत)

नियमावली : 2024-25

इस छात्रावास के सञ्चालन का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज की दूरदृष्टिता से एक ऐसा उपक्रम जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में अध्ययनरत बेटियों एवं बहनों के लिए जैनत्व के संस्कारों के साथ सुरक्षा पूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। अतः सभी छात्राओं से यह अपेक्षा है कि सभी नियमों का पालन करते हुए उनके आदर्शों - भारत की संस्कृति-सभ्यता-विरासत को वापिस लाना है - के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करते हुए सभी धार्मिक / सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के अलावा ऐसे सभी कार्यक्रमों का आयोजन करना।

सर्व-साधारण नियम :

1. छात्रावास का प्रबंधन वार्डन (प्रबंधक) एवं सहायक वार्डन (सह-प्रबंधक) द्वारा किया जाता है।

2. वार्डन की सहायता के लिए एक सहायक वार्डन (सह-प्रबंधक) नियुक्त किया जाता है, जो वार्डन की सहायता करती है, एवं उसकी अनुपस्थिति में वे प्रभारी (In-charge) भी होती हैं। अतः छात्राओं को उनकी सलाह का पालन भी करना होगा।

3. तेज संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। छात्राओं को शांतता रखनी चाहिए और छात्रावास में दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए।

4. रात 11:00 बजे लाइट बंद होने के बाद शांतता रखनी चाहिए। लाइट बंद होने के बाद मोबाइल फोन पर बात करने की सख्त मनाही है।

5. यदि उपयोग में न हो तो लाइट,फैन,TV या अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक छात्रा की है।

6. छात्रावास परिसर में कमरों, गलियारों, शौचालयों या अन्य क्षेत्रों में कोई भी खराब / टूटे हुए उपकरणों की जानकारी वार्डन को देने पर उसकी उचित मरम्मत समय पर की जा सकेगी।

7. प्रत्येक छात्रा को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कमरे आवंटित किए जाते हैं। उसे अपने कमरे, छात्रावास और उसके वातावरण के रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। यदि कुछ भी क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो कमरे की सभी छात्राएं उस क्षति के लिए जिम्मेदार होंगी ।

8. कमरे की साफ-सफाई और बिस्तर की साफ-सफाई सभी छात्राओं का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अतः यह अपेक्षित है कि सभी बिस्तर प्रातः 9 बजे तक ढंग से लगाए जाएँ। कमरे की जांच नियमित रूप से की जाएगी। कमरे को साफ-सुथरा रखने में लगातार लापरवाही बरतने पर प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9. बाथरूम, शौचालय, गलियारे, छात्रावास के लॉन जैसे सामान्य क्षेत्रों सहित आसपास की सफाई प्रत्येक छात्रा की जिम्मेदारी है। छात्राओं ने शौचालयों का उचित उपयोग करना चाहिए । सैनिटरी पैड, साबुन / शैम्पू कवर, बाल, हेयर-पिन इत्यादि के उचित निपटान के लिए कूड़ेदान का उपयोग करें।

10. छात्राओं को अनावश्यक रूप से अन्य छात्राओं के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए और छात्राओं की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए।

11. बिना पूर्व अनुमति के बाहर से कंप्यूटर, म्यूजिक प्लेयर जैसी मूल्यवान चीजें एवं कोई भी फर्नीचर या अन्य बड़ा सामान या उपकरण लाना मना है।

12. छात्रावास में बिजली की इस्त्री (Iron) एवं हेयर ड्रायर के अलावा किसी भी अन्य हीटिंग उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी बिना अनुमति वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और उपयोग करने वाले और उसके मालिक, प्रत्येक से **रुपये 1000.00 (एक हजार रुपये)** सिर्फ मात्र का जुर्माना वसूला जाएगा।

13. कमरों में हेयर ड्रायर का उपयोग एवं कपड़ों पर प्रेस (Iron) करने की अनुमति है।

14. कमरों में किसी भी तरह का भोजन, नाश्ता बनाने की अनुमति नहीं है।

15. जिन छात्राओं ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या जो छुट्टियों के लिए छात्रावास छोड़ने की योजना बना रही हैं, उन्हें उनके ऐसे आवेदन पर अनुमति की समाप्ति के दिन से 7 दिनों के भीतर छात्रावास खाली करना होगा।

16. छात्रावास छोड़ने वाली छात्राओं को अपने संबंधित कमरे और लॉकर से अपना निजी सामान भी ले जाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वार्डन को उनका सारा सामान हटाने का अधिकार है। हालाँकि इन सामानों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन किसी भी क्षति या हानि के लिए वार्डन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

17. प्रत्येक छात्रा को वार्डन के पास उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में माता-पिता द्वारा विधिवत अधिकृत स्थानीय अभिभावक, उनके नाम, पता, मो.न., उनके हस्ताक्षर के साथ जमा करने होंगे।

18. किसी भी छात्रा को **रात्रि 10 बजे से प्रातः 5.30 बजे** के बीच छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो छात्रा को निर्धारित प्रारूप (फॉर्म) में योग्य जानकारी देकर वार्डन की अनुमति लेनी होगी।

19. कमरे एवं आलमारी की चाबियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक छात्रा की रहेगी। खो जाने पर **रु.500.00 (पांच सो) के दंड** का भुगतान करने पर दूसरी चाबी दी जाएगी।

20. छात्रावास में कपडे धोने की मशीन की व्यवस्था की जायगी, लेकिन उसके उपयोग एवं रख-रखाव के नियम समय-समय पर निश्चित किये जायेंगे, एवं सभी के लिए बाध्य होंगे।

अनुशासन

- प्रत्येक छात्रा के पास सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र होना चाहिए।
- प्रत्येक छात्रा को **पहले आओ-पहले पाओ (First Come - First Serve)** आधार पर कमरा आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक समझा जाए तो वार्डन को किसी भी समय छात्रा का कमरा बदलने का अधिकार है।
- प्रत्येक छात्रा को रजिस्टर में प्रत्येक रात्रि को 10 बजे तक हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- प्रबंधन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कमरे में प्रवेश करने, निरिक्षण करने एवं योग्य निर्देश देने का अधिकार है।
- प्रत्येक छात्रा को साथी छात्राओं (रूममेट्स) और छात्रावास के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय सम्मान और उचित शिष्टाचार दिखाना चाहिए।
- छात्रावास की बैठकों,गतिविधियों एवं अन्य कार्यक्रमों में छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
- संस्कारों के महत्व को समझते हुए एवं धार्मिक वातावरण निर्माण करने के लिए प्रत्येक छात्रा को अपनी सुविधानुसार प्रातः कालीन प्रार्थना (प्रातः 6.30 से 7) या सांयकालीन आरती (सांय 7 से 07.30) में उपस्थित रहना आवश्यक है।
- किसी भी तरह का कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करने के लिए वार्डन की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- सामान्य टूट-फुट को छोड़कर, छात्राओं को दिए गए फर्नीचर, उपकरण,फिटिंग आदि की किसी भी तरह के नुकसान / क्षति के लिए छात्राओं को जिम्मेदार ठहराया जाकर उनसे यथायोग्य राशि ली जाएगी।
- छात्रावास छोड़ते समय छात्राओं को दिए गए फर्नीचर, उपकरण,फिटिंग आदि को वार्डन को अच्छी स्थिति में वापिस करने होंगे।
- कोई भी छात्रा परिसर में अन्य लोगों का सामान चुराती या छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती पाई गई, जैसे पोस्टर चिपकाना, कीलें लगाना, पानी और बिजली बर्बाद करना आदि परिस्थितियों में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- छात्रा की किसी भी समस्या के संबंध में सभी संचार (कम्युनिकेशन) वार्डन के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- छात्राओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास सुविधाओं का किसी अन्य छात्रा / गैर-छात्राओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए।

छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति :

- छात्रावास से एक दिन से अधिक दिन तक अनुपस्थित रहने के लिए लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- स्थानीय अभिभावकों के निवास पर रुकने या रात्रि विश्राम के लिए वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, स्थानीय अभिभावक को एक पत्र देना होगा जिसमें कहा गया हो कि छात्रा उनके साथ रह रही थी।

अतिथि / आगंतुक

- अतिथि रात्रि 8:30 बजे तक छात्रावास के अतिथि कक्ष में छात्रा से मिल सकते हैं।
- अतिथि कक्ष की चाबी सुरक्षा गार्ड के पास रहेगी। किसी रिश्तेदार के आने पर सुरक्षा गार्ड अतिथि कक्ष खोल सकता है और फिर महिला कर्मचारी के माध्यम से छात्रा को सूचित कर सकता है।
- कोई भी छात्रा बिना अनुमति के किसी भी अतिथि को छात्रावास में आमंत्रित नहीं करेगी या रहने की अनुमति नहीं देगी।
- किसी भी पुरुष व्यक्ति (यहाँ तक कि पिता) को भी छात्रावास के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी परिस्थिति में किसी भी माता-पिता / स्थानिक अभिभावक या किसी भी व्यक्ति / महिला को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिधान संहिता (ड्रेस कोड) :

1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पहनावे में सावधानी बरतें एवं शालीनता का ध्यान रखें । अतिवादी, अशोभनीय और खर्चीले परिधानों से बचना चाहिए। स्पेगेटी पट्टियाँ, छोटी स्कर्ट और टैंक टॉप पहनना जो दिखावटी हों, छात्रावास के अंदर पहनने के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
2. छात्राओं को महंगे गहने, आभूषण जैसे बाजूबंद, झुमके, हार, आदि जैसे आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है। टैटू, बॉडी पेंटिंग या छेदन सख्त वर्जित है।

स्वास्थ्य :

- बीमारी के किसी भी मामले की सूचना तुरंत वार्डन / सहायक वार्डन को दी जानी चाहिए और उसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए।
- यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो छात्रा को इसकी सुचना तुरंत वार्डन / सहायक वार्डन को देनी चाहिए ,जो उचित व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगी । हालाँकि, न्यास उपचार और परिवहन के व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- किसी भी अनपेक्षित बीमारी या दुर्घटना के निवारण के लिए होने वाले खर्च से बचने के लिए प्रत्येक छात्रा को बिमा (मेडिक्लेम) पालिसी लेने की सलाह है। इससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है।

भोजन व्यवस्था :

- छात्रावास के नियमों केअतिरिक्त भोजन शाला के नियम अलग से होंगे एवं वे मान्य करने होंगें।
- भोजन शाला में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही दिया जायगा एवं जमींकंद का भी उपयोग नहीं किया जायेगा।
- भोजन शाला में निर्धारित समय पर ही भोजन दिया जायगा। अतः यह अपेक्षा है कि सभी छात्राएं समय का पालन करेंगी।
- छात्रावास में भोजन की उचित व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में भोजन सिर्फ भोजन कक्ष (डाइनिंग हाल) में करना अनिवार्य है।
- सूखा मेवा (Dry Fruits), फल, मिठाई आदि का सेवन कमरों में किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए साफ-सफाई की जिम्मेदारी छात्रा की रहेगी। कमरे की अन्य छात्रा से शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- भोजन कक्ष से भोजन छात्रावास के कमरे में ले जाना सख्त वर्जित है। हालाँकि, विशेष परिस्थिति में डॉक्टर / वार्डन की अनुमति से कमरे में बीमार आहार परोसा जा सकता है।

माता-पिता एवं स्थानीय संरक्षक की जिम्मेदारी

- माता-पिता / स्थानीय संरक्षक को छात्रा की प्रगती का आकलन करने के लिए वर्ष में कम-से-कम दो बार छात्रावास प्रबंधक से मिलने का सुझाव है।
- इसके अतिरिक्त छात्रावास प्रबधकों द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने का सुझाव है।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या / दुर्व्यवहार या किसी अन्य समस्या के बारे में सूचना मिलने पर माता-पिता / स्थानीय संरक्षक से तुरंत कार्यवाही करने की अपेक्षा है।

शुल्क में रियायत

- वित्तीय रूप से अशक्त व्यक्ति छात्राओं को शुल्क में 25 % रियायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदन के साथ वित्तीय अवस्था के प्रमाण के डाक्यूमेंट्स के अतिरिक्त आधार एवं PAN कार्ड की प्रती के साथ ही समाज के 2 प्रतिष्ठीय व्यक्तियों के अनुशंसा (Recommendation) पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हैं।

छात्रावास से निष्कासन

- सम्पूर्ण परिसर में शराब (मदिरा),मांस,अंडे एवं अन्य मादक / अभक्ष्य पदार्थों जैसे गुटका,तम्बाखू आदि का सेवन करने एवं धूम्रपान करने का पूर्णतया निषेध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रावास से निष्काषित किया जा सकेगा।
- सभी प्रकार की रैगिंग, शारीरिक या मौखिक हमलों का सख्त निषेध है और पाए जाने पर छात्रावास से निष्काषित किये जा सकते हैं।
- छात्रावास के नियमों / उपनियमों / निर्देशों / आदेशों का उल्लंघन करने पर या किसी दुसरे की मदद करने पर छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है, एवं उसके द्वारा भुगतान की गई राशि भी जब्त की जा सकेगी।
- छात्रावास में दुर्व्यवहार करने पर भी छात्रावास से निष्काशन किया जा सकते है।

वाहन उपयोगकर्ता

- अपने स्वयं के वाहन उपयोग करने वाले छात्राओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बिमा पालिसी, एवं वाहन की पंजीकरण (RCTC) के डाक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं एवं छात्रावास में प्रवेश के समय इन सब डाक्यूमेंट्स की एक प्रती प्रबंधक के पास जमा करनी होगी। उन्हें अपने वाहन को उचित तरीके से अपनी जोखिम पर पार्किंग क्षेत्र में पार्क करना चाहिए। इन वाहनों की सुरक्षा के लिए न्यास जबाबदार नहीं होगा।
- छात्राओं को अपने वाहन का उपयोग अन्य छात्राओं को जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, नहीं देने की सलाह दी जाती है।

शुल्क (फीस) की वापसी

- प्रथम वर्ष की इंजिनीरिंग छात्राओं को छोड़कर, जो स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है, एक बार भुगतान की गई फीस वापिस नहीं की जाएगी।
- 15 अगस्त तक सूचित करने पर यथायोग्य शुल्क काटकर शुल्क वापिस किया जायगा। इसके पश्चात् कोई भी शुल्क वापिस नहीं किया जायगा।

प्रबंधकों (न्यास) का उत्तरदायित्व

- आवश्यकता के अनुसार बिना पूर्व सूचना आवास एवं भोजन शुल्क में बदलाव के अलावा अन्य सुविधाओं के नियमों में बदलाव / सुधार करने के लिए न्यास को पूर्ण अधिकार रहेंगे।
- ऐसे सभी बदलाव / सुधार की जानकारी छात्रावास के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। तदनुसार यह मान लिया जायेगा कि सभी छात्राओं ने इसे पढ़ लिया है, एवं सभी इससे सहमत हैं।
- न्यास किसी भी तरह से छात्राओं के प्रदर्शन (Result) एवं आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।
- न्यास किसी भी छात्रा के कृत्य, दुर्घटना या चोट के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।
- किसी भी अनुशासन हीनता के सम्बन्ध में न्यास आतंरिक जाँच करा कर दोषी पाए जाने वाली छात्रा को छात्रावास से निकाल सकता है।
- छात्रावास सञ्चालन से सम्बंधित सभी विषयों पर न्यास का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

प्रतिबद्धता

- प्रत्येक छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वेच्छा से और पूरे मन से छात्रावास की गतिविधियों के संचालन और रखरखाव में भाग ले। प्रत्येक छात्रा को विभिन्न समितियों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा, भोजन शाला, खेल, व्यक्तिगत विकास आदि में काम करने का अवसर दिया जाएगा।

शिकायत समाधान / सुझाव व्यवस्था

- निरंतर सुधारों की सम्भावना देखते हुए एक **सुझाव पेटी** की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्राप्त लिखित शिकायतों / सुझावों का निराकरण प्रत्येक 15 दिन में किया जायगा।
- आपस में संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से **प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रातः 10 बजे** प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया जायगा, जिसमे भाग लेना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य होगा

नियमों में संशोधन :

आवश्यकता पड़ने पर नियमों में संशोधन का पूर्ण **अधिकार श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, पुणे** को रहेगा एवं इसकी सूचना सभी छात्राओं को समय- समय पर दी जाएगी।